न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 19/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/33

निर्णय दिनांकः 23.06.2025

1. घासीराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी इन्दपालसर राईकान, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. छबीलसिंह पुत्र रिसालसिंह जाति मेघवाल निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्राथीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी संख्या 1 गांव इन्दपालसर राईकान व प्रार्थी संख्या 2 गांव जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टयर भूमि वाके रोही श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 की 3/7 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 की 4/7 हिस्सा भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगंण कि खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर भूमि का हल्का पटवारी द्वारा नक्सा अक्स तो तरमीम कर दिया तथा मौका पर पैमाईश कि गई लेकिन पत्थरगढी नहीं की गई। प्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के समक्ष पैमाईश करवाने के लिये आवेदन किया गया तो दिनांक 10.04.2023 व दिनाक 18.05.2023 को मौका पर पैमाईश कि गई परन्तु मौका पर पत्थरगढी नही की गई। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर भूमि में मौका पर नक्सा शीट के मुताबिक मैट्रिक जरीब चलाकर सीमाइन करवाकर, मुताबिक रक्बा पत्थरगढी करवाना चाहते है परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने से दिनांक 13.12.2024 को इन्कार कर दिया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिर्कोड का संधारणकर्ता होने एंव तहसीलदार की आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ की पैमाईश कर फर्द मौका रिर्पोट तैयार करवाकर नक्शा सीट के मुताबिक मैट्रिक जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है इसलिये अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर भूमि रोही मौजा श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी न्यायालय श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो कि न्यायालय पर पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी ने दिनांक 13.12.2024 को सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

इन्कारी की दिनांक से उक्त प्रार्थना पत्र पर वादहेतू व वादगत खेत प्रार्थीगण की खातेदारी का होने से वादाधार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर भूमि रोही मौजा श्रीडूंगरगढ की पैमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी करने का आदेश अप्रार्थी तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिया जावे व आदेश की पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 137 तादादी 5.6100 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खस़रा नंबर 137 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested